(1) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.8.02 के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए प्रशासी विभाग/संवर्ग नियंत्रण पदा0, जैसी भी स्थिति हो, औपबंधिक रूप से वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

(2) प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन क्रमशः 12/24 वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पाये जाने की स्थिति में प्रपत्र-"क" में वांछित प्रपत्र में ही दिया जायेगा।

(3) सक्षम पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों, परिपत्रों से संतुष्ट होकर स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त कर ही वित्तीय उन्नयन का आदेश पारित करेंगे।

(4) विभाग/संवर्ग नियंत्रक पदा0 की दृष्टि में यदि कोई बिन्दु अस्पष्ट हो तो वे इस संबंध में प्रशासी विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से स्थिति स्पष्ट कराकर औपबंधिक वित्तीय उन्नयन देंगे।

(5) औपबंधिक वित्तीय उन्नयन देते समय भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में वर्णित पद सोपान को विशेष रूप से दृष्टिपथ में रखेंगे।

(6) संवर्ग नियंत्रण पदा0 का यह दायित्व होगा कि वे अपने द्वारा स्वीकृत औपबंधिक वित्तीय उन्नयन की सूचना संलग्न विहित प्रपत्र (प्रपत्र-"ख") में भरकर अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से अंतिम रूप से संपुष्टि हेतु वित्त विभाग को भेजेंगे। जिला लेखा पदा0 द्वारा संपुष्टि की कार्रवाई नहीं की जायगी।

(7) वित्त विभाग द्वारा संपुष्टि के क्रम में कोई गलती पाये जाने पर औपबंधिक आदेश तदनुरूप संशोधित माना जायेगा और यह संशोधन औपबंधित प्रोन्नति विषयक आदेश के निर्गमन की तिथि से प्रभावकारी होगा।

6- साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी को गलत रूप से औपबंधिक वित्तीय उन्नयन दृष्टिगोचर होता है तो उच्चतर वेतनमान में भुगतान की गई अधिक राशि एक मुश्त वसूलनीय होगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा और संबंधित कर्मी न्यायालय जाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं होंगे।

विश्वासभाजन

20/9/03

(एम0 एस0 भाटिया)
सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग, रांची।

ज्ञापांक- 2474/वि /दिनांक 20-9-03

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदा0/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदा0, झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/03

(एम0 एस0 भाटिया)
सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग, रांची।